न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 50/2020

उनवान

1 मीरा पत्नी मंगलराम

2 श्रवणलाल पुत्र भैरूराम

समस्त जाति यादव, निवासी प्रतापपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1 ओमकारमल पुत्र महादेव

2. कान्ता देवी पत्नी बद्रीप्रसाद

समस्त जाति यादव, निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

3 दयाराम पुत्र लक्ष्मण

4 नाथूराम पुत्र सूरजमल

5 भगवानी देवी पत्नी लक्ष्मण

6 रामकुंवार पुत्र सुरजमल

समस्त जाति यादव, निवासी प्रतापपुरा, मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

7 सुभाष पुत्र फूलचन्द जाति यादव, निवासी कांट तह0 खण्डेला जिला सीकर।

8 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरियें तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

9 उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

निर्णय दिनांक : 9-10-2020

वादीगण की ओर से यह वाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आ.ख.न 2064/2 रकबा 0.0298 है. वाके ग्राम प्रतापपुरा तह. शाहपुरा में स्थित है । जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण अपने हिस्से पर काबिज कास्त है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज कास्त होकर सह खातेदार कास्तकार है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी मुख्य सड़क से लगती हुई है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही सड़क से लगती हुई विशिष्ट भू भाग को किसी अजनबी लठेत व्यक्ति को बैचान कर उसके पक्ष में प्रतिवादी सं0 9 के कार्यालय में अन्तरण डीड पंजीबद्व कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर आमादा है प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है । दिनांक 15.06.2020 को वादीगण आराजी मुतनाजा मे खडी फसल की देखरेख कर रही थे तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में 5–7 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के सड़क से लगते विशिष्ट भू भाग की नाप जोख करने लगे । वादी ने उनसे नाप जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये तथा आवेश में आकर वादी को एलानिया धमकी दी कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा कराये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ठ भू भाग को अजनबी व्यक्तियो को बैचान कर उनके पक्ष में अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर रहेगे । वादी को जबरन बैदखल कर आराजी के विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा करवा कर रहेगें। इस कारण वादी को न्यायालय में यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 2064/2 रकबा 0.0298 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक–2 लगान निर्धारण किया जावे । प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई वकील वादीगण को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादीगण ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार शाहपुरा से

सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज

प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 2064/2 रकबा 0.0298 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 2064/2 रकबा 0.0048 है0 , भूमि वादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगी ।
2. आ.ख.नं. 2064/7 रकबा 0.0048 है0 , भूमि वादी संख्या 2 के हिस्से में रहेगी ।
3. आ0ख0नं0 2064/8 रकबा 0.0040 है0 व आ0ख0न0 2064/9 रकबा 0.0162 कुल किता 2 रकबा 0.0202 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2488/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 4008/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 4008/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी ।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9-10-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 50/2020

उनवान

1 मीरा पत्नी मंगलराम
2 श्रवणलाल पुत्र भैरूराम
समस्त जाति यादव, निवासी प्रतापपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1 ओमकारमल पुत्र महादेव
2. कान्ता देवी पत्नी बद्रीप्रसाद
समस्त जाति यादव, निवासी बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
3 दयाराम पुत्र लक्ष्मण
4 नाथूराम पुत्र सूरजमल
5 भगवानी देवी पत्नी लक्ष्मण
6 रामकुंवार पुत्र सुरजमल
समस्त जाति यादव, निवासी प्रतापपुरा, मनोहरपुर, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
7 सुभाष पुत्र फूलचन्द जाति यादव, निवासी कांट तह0 खण्डेला जिला सीकर।
8 राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)
9 उपपंजीयक कार्यालय–शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट 1955

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 2064/2 रकबा 0.0298 है0 वाके ग्राम प्रतापपुरा तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। –

1. आ.ख.नं. 2064/2 रकबा 0.0048 है0 , भूमि वादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगी ।
2. आ.ख.नं. 2064/7 रकबा 0.0048 है0 , भूमि वादी संख्या 2 के हिस्से में रहेगी ।
3. आ0ख0नं0 2064/8 रकबा 0.0040 है0 व आ0ख0न0 2064/9 रकबा 0.0162 कुल किता 2 रकबा 0.0202 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2488/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 4008/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा 4008/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 2424/20200 भूमि रहेगी ।

कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 9-10-20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट
पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प .... रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	